ई–मेल

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0– स0सु0/2017–55स0सु0/2015 लखनऊःदिनांक–20, नवंबर, 2017

सेवा में,

1. अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी/पश्चिम/मध्य) उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश।

विषयः– नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण–पत्र की वैधता के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–115 में मोटर वाहनों से होने वाले धूम्र उत्सर्जन के संबंध में विस्तृत प्राविधान किये गये हैं और इस नियम के उप–नियम (7) में यह प्राविधान किया गया है कि किसी भी मोटर यान के पंजीकृत होने की तिथि से 01 वर्ष की समाप्ति के बाद **'नियंत्रित प्रदूषण'** प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था से प्राप्त कर वाहन के साथ अन्य प्रपत्रों के साथ–साथ रखना आवश्यक है।

2– उल्लेखनीय है कि उक्त उप–नियम में दिये गये प्राविधान के अनुसार जारी किये जाने वाले उपरोक्त प्रमाण–पत्र की वैधता 06 माह की होती है, परंतु उक्त उप–नियम के परंतुक में वर्ष 2012/2016 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि कोई वाहन भारत स्टेज–IV के मानक के अनुसार निर्मित हो, तो ऐसी दशा में इस प्रकार के वाहनों हेतु जारी **'नियंत्रित प्रदूषण'** प्रमाण–पत्र की वैधता 01 वर्ष की होगी।

3– मुख्यालय के संज्ञान में यह बात आई है कि भारत स्टेज–IV मानक के अनुरूप निर्मित वाहनों के लिए भी मान्यता प्राप्त अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों द्वारा 06 माह के लिए ही वैध **'नियंत्रित प्रदूषण'** प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह न तो नियमानुसार है, न ही जनता की सुविधा की दृष्टिगत उचित कहा जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि उपरोक्त प्रकार के वाहनों के लिए 'नियंत्रित प्रदूषण' प्रमाण–पत्र 01 वर्ष की वैधता के साथ निर्गत किया जाय।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने अधिक्षेत्र के अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी के द्वारा भारत स्टेज–IV के मानक के अनुरूप निर्मित वाहनों हेतु जारी किये जाने वाले **'नियंत्रित प्रदूषण'** प्रमाण–पत्र की वैधता 01 वर्ष की हो, इन

निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी आख्या मुख्यालय को सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(पी0 गुरू प्रसाद)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

पृ0संख्या– 1141(1) (1)स0सु0/2017–समदिनांकित।

प्रतिलिपि श्री विनीत त्रिपाठी, डी.बी.ए., मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र परिवहन आयुक्त संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पी0 गुरू प्रसाद)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।